न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 42/23 GCMS NO 2023/83

1. कजोडी पत्नि हजारी (मृतक)
2. केदारी पत्नि घनश्याम
3. दिनेश पुत्र घनश्याम
4. भरतलाल पुत्र हजारी
5. मथुरालाल पुत्र हजारी
6. राजेश पुत्र घनश्याम
7. रामलाल पुत्र हजारी
8. रामविलास पुत्र हजारी
9. सुनिता पुत्री घनश्याम
10. हरफूल पुत्र मोरपाल
11. जनता देवी पुत्री स्व0हजारी जातियान माली निवासीयान टोंक रोड मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. तुलसा देवी पत्नि मनफूल जाति मीना निवासी टोक रोड मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय मु0नं0 63/22 दिनांक 14.6.23 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री जय प्रकाश सैनी
अभिभाषक रैस्पो0 श्री राधेश्याम बैष्णव

दिनांक 02.04.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 14.6.23 न्यायालय उप जिला कलेक्टर कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो/प्रार्थी संख्या 1 तुलसा देवी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम मुई के खाता संख्या 148 मे अंकित कृषि भूमि ख0न0 70 रकबा 1.09 है0 मे 10 वर्ष से अमरूदो का बगीचा लगाकर तथा कृषि कार्य के उद्वेश्य से पुख्ता मकान बना रखा है। जिसमे प्रार्थीयां अपने परिवार सहित निवास करती है। प्रार्थीयां के स्वामित्व व अधिपत्य की कृषि भूमि ख0न0 70 मे कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए टोंक ... स्थित कृषि भूमि ख0न0 64 रकबा 0.45 है0 मे होकर सबसे कम दूरी ... मात्र 80 फीट की दूरी पर प्रार्थीयां के स्वामित्व की कृषि भूमि ख0न0 70 ... अनुसार मौके पर स्थित है। उक्त भूमि के दक्षिण दिशा की और ख0न0 72/2831 रकबा 0.16 है0 किस्म बारानी सिवायचक भूमि है तथा सिवायचक भूमि मे उत्तर दिशा की और से बरसात का पानी बहाव ... कटनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:42:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

तालाब मे जाने के लिए 20 फीट चौडा 10 फीट गहरा नाला बना हुआ है। एवं टोक रोड पर 15 फीट की पुलिया पानी के बहाव हेतु बनी हुई है। नाले मे हमेशा पानी भरा रहने के कारण प्रार्थीयां का दक्षिण दिशा की और से खातेदारी के खेत मे कृषि कार्य हेतु किसी भी मौसम मे संभव नही है। इसलिए प्रार्थीयां के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि मे कृषि कार्य हेतु नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शित स्थान पर होकर प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है जिस पर प्रार्थीयां द्वारा गेट भी लगा रखा है। विपक्षीगण द्वारा कानून को हाथ मे लेकर रोड सीमा की भूमि पर अतिकमण करने के उद्वेश्य से गडडू गाढकर तारो की फेंसिंग करो प्रार्थीयां के प्रस्तावित रास्ते को रोक दिया है। इस कारण प्रार्थीयां की खातेदारी की भूमि पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही होने एवं अप्रार्थीगण द्वारा अतिकमण कर रास्ते को अवरूद्व कर धमकी दिये जाने के कारण प्रार्थीयां की खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता ख0न0 64 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम मुई मे से प्रचलित डी एल सी दर की दो गुना राशि जमा करावाकर या जमीन के बदले जमीन दिलाई जाकर रास्ता दिलाया जावे तथा अप्रार्थीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अतिकमण को हटवाया जावे तथा प्रार्थीयां की खातेदारी की आराजीयात ख0न0 70 रकबा 1.09 है0 पर पहुॅच हेतु 20 फीट का रास्ता प्रदान किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीयां/रेस्पों0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि ख0न0 64 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम मुई मे से 0.0110 है अर्थात 79 फीट लम्बा एवं 15 फीट चौडा रास्ता प्रचलित डी एल सी दर की दो गुना राशि जमा कराने की शर्त पर रास्ता प्रदान किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट ने अपनी बहस अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने ही एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय मे तारीख पेशी दिनांक 22.12.22 नियत थी। उस दिन पीठासीन अधिकारी नही होने के कारण नोटिस बोर्ड से आगामी पेशी दिनांक 16.3.22 दी गई। दिनांक 16.3.22 को पीठासीन अधिकारी नही होने के कारण दिनांक 25.4.23 नियत की गई तथा दिनांक 25.4.23 को मंत्रालयिक कर्मचारियो के हडताल पर होने के कारण तारीख तब्दील नही हुई। तथा हडताल के पश्चात दिनांक 25.4.23 से 28.7.23 नियत की गई। जो अधिनस्थ न्यायालय के पेशी रजिस्टर मे आज भी दर्ज है। दिनांक 16.3.22 को मोहर द्वारा 25.4.23 दी गई जिसमे कांट छाट कर दिनांक 29.3.23 करे उस दिन एक पक्षीय आर्डर किया है जो नेसिर्गिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है। उक्त तारीख पर वकीलो द्वारा हडताल करने के कारण वकालतनामा व जबाब पेश प्रस्तुत नही किया जा सका। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की [illegible] ए के तहत प्रावधान है कि यदि मौके पर पूर्व से रास्ता मौजूद है या [illegible] तहत रास्ता नही दिया जा सकता है। जो रेस्पो0 सं[illegible] है। रेस्पो0संख्या 1 की कृषि भूमि ख0न0 70 रकबा 1.09 है0 से लगती हुई पश्चिम दिशा [illegible] और ख0न0 72/2831 रकबा 0.16

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:42:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

है0 किस्म बारानी 2 सिवायचक भूमि है इसके लगती हुई ख0न0 167 रकबा 0.5900 है0 गैर मुमकिन रास्ता है जो टोंक रोड ख0न0 3000/62 से मात्र 50 फीट की दूरी पर ही स्थित है। जिस पर से रेस्पो0 अपने खेत ख0न0 70 मे वर्षो से आती जाती रही है और पर्याप्त रास्ता उक्त ख0न0 से रेस्पो0 के पास उपलब्ध है। जो राजस्व रिकार्ड नक्शा शीट से साफ जाहिर है। रेस्पो0 संख्या 1 का कभी भी ख0न0 64 से आना जाना नही रहा है। रेस्पो0 संख्या 1 अपनी कृषि भूमि के पास दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे और एस्सप्रेस वे का उतार चढाव का टोल ख0न0 70 के पास आ जाने के कारण अपनी कृषि भूमि को व्यवसायिक उद्वेश्य से व कीमत बढाने के उद्वेश्य से अपीलांट के खातेदारी ख0न0 64 जो टोंक रोड से लगती हुई है उसके मध्य से रास्ता लेना चाहते है जबकि रेस्पो0 संख्या 1 के पास ख0न0 70 मे कृषि कार्य हेतु रिकार्डेड रास्ता मौजूद है। रेस्पो0 संख्या 1 ने अपनी भूमि ख0न0 70 व ख0न0 72/2800 सिवायचक से लगवा स्वयं ने ही खुदाई करवाई जिसकी मिटटी सिवायचक भूमि मे डाल कर उची कर दी और स्वयं की खातेदारी ख0न0 70 मे भरी है। रेस्पो0 संख्या 1 अपनी टयूबवेल से उक्त गढढा पानी का भरता है जिस पर पानी को काश्तकारो व दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे के ठेकेदार को बेचता था इसलिए रेस्पो0 संख्या 1 स्वयं ने 6 फीट गहरा 5 फीट चौडा व 10 फीट लम्बा गढढा बनवाया है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार कोई नाला नही है। मात्र खेतो का वारिस का पानी बहता हुआ दक्षिण दिशा मे स्थित तालाब मे चला जाता है ख0न0 72/2831 सिवायचक मे भरा नही रहता है। रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद अपने मकान से लगभग 1000 फीट दूरी पर अपीलांट की खातेदारी ख0न0 64 मे एक लोहे का गेट साक्ष्य इक्ठठे करने के उद्वेश्य से लगा दिया है। रेस्पो0 संख्या 1 ने तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलकर अपीलांट रामलाल व मथुरालाल के विरूद्व दिनांक 20.2.23 को धारा 91 एल आर एक्ट का नोटिस निकलवाया है। जिसमे ख0न0 72/2831 सिवायचक भूमि पर 0.10 है0 भूमि पर अतिक्रमण बताया है। उसी दिन कार्यालय तहसीलदार स0मा0 ने से भी एक नोटिस अपीलांट रामलाल व मथुरालाल को जारी करवाया जिसमे सिवायचक भूमि 72/2831 पर रकबा 0.14 है0 पर अतिक्रमण बताया जो नोटिस अपीलांट को दिनांक 11.3.23 को कार्यवाही करने के बाद दिया गया दोनो की एक दिन के नोटिसो मे अलग अलग नाप का अतिक्रमण अपीलांट का बताया है। जबकि रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र मे कही भी अपीलांट का सिवायचक भूमि पर कब्जा होना नही बताया है जिससे साफ जाहिर है कि हल्का पटवारी ने बिना मौके पर नाप किये ही रेस्पो0 के कहे अनुसार मौके की गलत मौका रिपोर्ट तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय मे पेश की है। अपीलाधीन निर्णय एक पक्षीय अपीलांट को बिना सुने ही पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार का आदेश कानून की अवहेलना की श्रेणी मे आता है। रेस्पो0 संख्या 1 को अपनी आराजी मे आने जाने हेतु आज भी ख0न0 167 गैर मुमकिन रास्ता मौजूद है तथा ख0न0 72/2831 सिवायचक मे से भी रास्ता मौजूद है। जिसको पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे कही नही दर्शाया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित पक्षकारो को बिना सुने ही निर्णय पारित किया है जबकि प्रभावित पक्षकार को बिना सुने रास्ता प्रदान नही किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर आर टी 2022 पेज 1022 की नजीर से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के तहत रास्तो के मामलो मे पक्षकारो की मौजूदगी मे मौका निरीक्षण होना आवश्यक है। अधिनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:42:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो की पालना नही की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त्त किया जाकर उभयपक्षो की मौजूदगी मे तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की जावे एवं यदि रेस्पो0 रास्ते के काम आने वाली भूमि के बदले डेढ गुना भूमि अपीलांट को देने को तैयार है तो उसी अनुसार निर्णय पारित फरमाया जावे।

रेस्पो0 ने अपील बहस मे तर्क दिया कि रेस्पो/प्रार्थीयां ने ग्राम मुई के खाता संख्या 148 मे अंकित कृषि भूमि ख0न0 70 रकबा 1.09 है0 मे 10 वर्ष से अमरूदो का बगीचा लगाकर तथा कृषि कार्य के उद्वेश्य से पुख्ता मकान बना रखा है। जिसमे रेस्पो/प्रार्थीयां अपने परिवार सहित निवास करती है। रेस्पो/प्रार्थीयां के स्वामित्व व अधिपत्य की कृषि भूमि ख0न0 70 मे कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए टोंक रोड पर स्थित कृषि भूमि ख0न0 64 रकबा 0.45 है0 मे होकर सबसे कम दूरी का अर्थात रोड सीमा के पश्चात मात्र 80 फीट की दूरी पर रेस्पो/प्रार्थीयां के स्वामित्व की कृषि भूमि ख0न0 70 हाल नक्शा ट्रेस के अनुसार मौके पर स्थित है। उक्त भूमि के दक्षिण दिशा की और ख0न0 72/2831 रकबा 0.16 है0 किस्म वारानी सिवायचक भूमि है तथा सिवायचक भूमि मे उत्तर दिशा की और से बरसात का पानी बहाव मुई की कटनी तालाब मे जाने के लिए 20 फीट चौडा 10 फीट गहरा नाला बना हुआ है। एवं टोक रोड पर 15 फीट की पुलिया पानी के बहाव हेतु बनी हुई है। नाले मे हमेशा पानी भरा रहने के कारण रेस्पो/प्रार्थीयां का दक्षिण दिशा की और से खातेदारी के खेत मे कृषि कार्य हेतु किसी भी मौसम मे संभव नही है। इसलिए रेस्पो/प्रार्थीयां के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि मे कृषि कार्य हेतु नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शित स्थान पर होकर प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है जिस पर प्रार्थीयां द्वारा गेट भी लगा रखा है। अपीलांटगण द्वारा कानून को हाथ मे लेकर रोड सीमा की भूमि पर अतिक्रमण करने के उद्वेश्य से गडडू गाढकर तारो की फेंसिंग करो रेस्पो/प्रार्थीयां के प्रस्तावित रास्ते को रोक दिया है। इस कारण रेस्पो/प्रार्थीयां की खातेदारी की भूमि पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही होने एवं अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण कर रास्ते को अवरूद्व कर धमकी दिये जाने के कारण रेस्पो/प्रार्थीयां की खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता ख0न0 64 रकबा 0.45 मे से 20 फीट चौडा रास्ता प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके एवं रास्ते के संबंध मे तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई । जिस पर तहसीलदार ने भूमि ख0न0 72/2831 सिवायचक पर अपीलांट का अतिक्रमण माना है तथा प्रार्थीयां/रेस्पो0 की आराजीयात ख0न0 70 पर पहुॅच का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही होना माना है। सबसे निकटतम रास्ता अपीलांट के खेत ख0न0 64 मे से होकर ही माना है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत निहित प्रावधानो के तहत ही [illegible] निर्णय पारित किया है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे फिर भी अपीलांट भूमि के [illegible] लेने पर सहमत है तो रेस्पो0 भूमि के बदले भूमि देने का तैयार है। उसी अनुसार निर्णय पारित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:42:04 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। इससे यह तथ्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

सामने आये कि प्रार्थीयां/रेस्पो0 तुलसा देवी द्वारा अपनी आराजीयात ख0न0 70 रकबा 1.09 है0 वाके ग्राम मुई पर आने जाने हेतु अपीलांट/अप्रार्थी के ख0न0 64 रकबा 0.45 है0 मे से 20 फीट चौडे रास्ते की मांग की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीयां/रेस्पो0 की भूमि खसरा न0 70 पर आने जाने हेतु पूर्व से रास्ता मौजूद है या नही इसके सबंध मे तहसीलदार सवाई माधोपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट मे प्रार्थीयां/रेस्पो0की आराजीयात पर पहुँच का कोई बैकल्पिक एवं रिकार्डेड रास्ता नही होने से अपीलांट की भूमि ख0न0 64 रकबा 0.45 है0 मे से 20 फीट का चौडा एवं 79 फीट लम्बा रास्ता दिये जाने की रिपोर्ट प्रेषित किये जाने पर अपीलांट की भूमि ख0न0 64 मे से 20 फीट चौडा व 79 फीट लम्बा रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पहुँच हेतु डी एल सी दर की दो गुना राशि अपीलांट को दिये जाने की शर्त पर रास्ता प्रदान किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) के तहत यदि किसी खातेदार को अपनी भूमि पर पहुँच का कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति मे सबसे निकटतम खातेदार की भूमि मे से डी एल सी दर की दो गुना राशि प्रदान करने की शर्त पर रास्ता कायम करने का प्रावधान निहित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानो के तहत ही भूमि ख0न0 70 पर पहुँच हेतु भूमि ख0न0 64 मे से निकटतम रास्ता होने की रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त होने एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही होने के कारण ही रास्ता प्रदान करने के आदेश पारित किये है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक निर्णय होने से उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 63/22 मे पारित निर्णय दिनांक 14.6.23 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.4.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:42:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner